



UPI010012512026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सीतापुर।
प्रकीर्ण दीवानी वाद संख्या 29/2026
सी.आई.एस.नं० 35/2026

राम स्वरूप आदि
दिनांक 07.04.2026

बनाम

शंकर दयाल आदि।

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पत्रावली का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि प्रस्तुत स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र 3क1 प्रार्थी राम स्वरूप आदि द्वारा इस आशय से दिया गया है कि एक अन्य पत्रावली प्रार्थीगण की ओर से स्थानान्तरण हेतु दी गयी जिसमें सफलता मिलने की आशा है इसलिये दीवानी वाद संख्या 418/2016 राम स्वरूप आदि बनाम शंकर दयाल आदि को सिविल जज (जू0डि0) बिसवाँ के न्यायालय से सिविल जज (सी0डि0) सीतापुर के न्यायालय में स्थानांतरित किये जाने की याचना की गयी है। समर्थन में शपथपत्र दिया गया है।

विपक्षीगण की ओर से आपत्ति 12क1 विरुद्ध स्थानांतरण प्रार्थनापत्र दिया गया है तथा वाद निरस्त किये जाने का कथन किया है। समर्थन में शपथ पत्र दिया गया है।

उपरोक्त के सन्दर्भ में सम्बंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से आख्या आहूत की गयी, जिसके अनुसार प्रश्नगत प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होना कहा है तथा उक्त पत्रावली को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने पर कोई विधिक समस्या नहीं होना कहा है।

प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र 3क1 पर सुना तथा सम्बन्धित न्यायालय से प्राप्त आख्या का अवलोकन किया।

उल्लेखनीय है कि प्रार्थीगण की ओर से अपने स्थानांतरण प्रार्थनापत्र में एक अन्य वाद विचाराधीन होने का उल्लेख किया गया है किन्तु उक्त वाद के उनवान का उल्लेख नहीं है। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र आधारहीन तथ्यों पर आधारित है। अतः मामले के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पत्रावली को स्थानान्तरित करने का पर्याप्त आधार नहीं है। तदनुसार स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र 3क1 निरस्त होने योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र 3क1 निरस्त किया जाता है।

दिनांक : 07.04.2026

(आशीष जैन)
सत्र न्यायाधीश,
सीतापुर।

अजीत.